मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

www.esic.nic.in

संख्या : जी-31/11/1/2005-स्था.III   दिनांक : 26.09.2014

ज्ञापन

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकार्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम भुगतान के संबंध में।

इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने वर्ष 2013-14 के लिए निगम के कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस (पी.एल.बी.) के लिए अग्रिम के भुगतान का अनुमोदन किया है जो कि 60 (साठ) दिनों की मजदूरी के बराबर अधिकतम ₹ 7,000/- (मात्र सात हजार रुपये) के अध्यधीन है। यह अग्रिम भुगतान इस शर्त के अधीन है कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी द्वारा इस आशय का वचनबंध (संलग्न प्रपत्र में) प्रस्तुत किया जाएगा कि **"अग्रिम भुगतान का समायोजन वर्ष 2013-14 के लिए देय उत्पादकता संबद्ध बोनस के संबंध में किया जाएगा तथा वर्ष 2013-14 के उत्पादकता संबद्ध बोनस के संबंध में यदि किसी अधिक भुगतान के बारे में पता लगता है तो उस राशि की तुरंत वापसी की जाएगी।"** यह अग्रिम भुगतान उन्हीं निबंधन और शर्तों के अधीन है जो कि उत्पादकता संबद्ध बोनस पर लागू हैं तथा इस पत्र के साथ दी गई हैं।

तदर्थ कर्मचारियों, अधिवर्षिता प्राप्त या चिकित्सा आधार पर अशक्तता पर सेवानिवृत्त या जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान संगत वर्ष के फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस से पूर्व हुई है, को बोनस के लिए अग्रिम का भुगतान इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए ज्ञापन संख्या जी-31/11/1/86-स्था.III, दिनांक 02.03.1988; संख्या वी-37/11/1/81-स्था.III, दिनांक 22.02.1988 और संख्या जी-31/11/1/88-स्था.III, दिनांक 10.07.1989 में दिए गए निदेशों द्वारा शासित होगा।

क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी नगर के बाहर स्थित शाखा कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ के संबंध में संबंधित संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम राशि का आहरण कर सकते हैं।

संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल स्वीकार करेंगे तथा संबंधित क्षेत्र/उप क्षेत्रों में मौजूद प्रक्रिया के अंतर्गत राशि का भुगतान करेंगे।

वर्ष 2013-14 हेतु उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम की राशि का सभी पात्र कर्मचारियों को दिनांक 29.09.2014 तक भुगतान किया जाए तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाए। जिन कर्मचारियों को इस अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है, उनकी संख्या भी इस कार्यालय को सूचित करें। यदि दिनांक 29.09.2014 को किसी कर्मचारी के बैंक खाते में अग्रिम राशि जमा करना संभव न हो तो कठिनाई कम करने के लिए कर्मचारी के विशिष्ट निवेदन पर अग्रिम के नकद भुगतान पर विचार किया जा सकता है।

संलग्नक : यथोपरि।

वेबसाइट की विषय-वस्तु का प्रबंधन
Website Contents Management
डायरी सं./Diary No. 790
दिनांक/Date 20/11/14

(एस.के. सिन्हा)
निदेशक

सेवा में,

1. महानिदेशक के प्रधान निजी सचिव/सभी प्रभागीय प्रमुखों के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. आयुक्त(रा.प्र.अ.) के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक स्था.-V, मुख्यालय/चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल/अपर आयुक्त(वित्त), मुख्यालय को सूचनार्थ।
4. सभी संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त) को सूचनार्थ।
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस ज्ञापन को क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।

निदेशक

परिशिष्ट

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम भुगतान हेतु निबंधन और शर्तें

1. समूह 'ग' के सभी नियमित कर्मचारी, चाहे अस्थायी या स्थायी हो, उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम के पात्र होंगे बशर्ते वे पूरे वर्ष बिना किसी व्यवधान तथा संगत वित्त वर्ष में मार्च के अंतिम दिवस को भी सेवा में रहे हों। अनियत/संविदा/अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी किसी प्रकार के बोनस के पात्र नहीं होंगे।

2. जो कर्मचारी संगत वित्त वर्ष के दौरान एक वर्ष से कम समय के लिए सेवा में रहे हैं, उन्हें आनुपातिक आधार पर उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम की अनुमति होगी। परंतु शर्त यह है कि वे वित्त वर्ष के दौरान कम से कम छह माह तथा उस वर्ष मार्च के अंतिम कार्य दिवस को भी सेवा में रहे हों।

3. ₹3,500/- से अधिक मासिक वेतन का आहरण करने वाले कर्मचारी ₹3,500/- प्रतिमाह वेतन आहरित करने वालों को स्वीकार्य दर पर उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम के हकदार होंगे।

4. जो कर्मचारी मार्च माह के दौरान असाधारण या अर्ध वेतन छुट्टी पर थे, उन्हें असाधारण छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी आदि के न होने पर देय वेतन एवं भत्तों के आधार पर उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम का भुगतान किया जाएगा।

5. उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम के प्रयोजनार्थ "वेतन" शब्द में मूल वेतन, ग्रेड वेतन, (प्रतिनियुक्ति/ड्यूटी) भत्ते, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन, मंहगाई भत्ते आदि शामिल हैं, परंतु अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता एवं नगर-प्रतिकार भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, सुदूर स्थल भत्ता, विषम जलवायु भत्ता आदि तथा अंतरिम राहत शामिल नहीं हैं।

बचनबंध

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी____________________________, ____________________

(नाम) (पदनाम)

एतद्द्वारा निम्नानुसार वचन देता/देती हूँ :-

1. मुझे यह जानकारी है कि वर्ष 2013-14 के लिए देय और मुझे स्वीकार्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के लिए अग्रिम जो कि 60 दिनों के वेतन के बराबर (अधिकतम ₹7,000/- के अधीन) है, की संस्वीकृति अनंतिम रूप से की गई है और मुझे उसका भुगतान किया जा रहा है।

2. उक्त अग्रिम का समायोजन वर्ष 2013-14 के लिए देय और मुझे स्वीकार्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के संबंध में किया जाएगा और बाद में, किसी भी कारण से अधिक भुगतान किए जाने का पता लगने पर मैं उसे तुरंत वापस कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर____________________

नाम____________________

पदनाम____________________

दिनांक____________________